न्यायालय –श्रीमती अनिता डहरिया, सत्र न्यायाधीश महासमुंद

(छ.ग.)

CNR – CGMA 01– 001696–2026

जमानत याचिका क्रमाँक 845/2026

ओमप्रकाश पिता फागुन ध्रुव, उम्र 51 वर्ष,
निवासी ग्राम उमरदा वार्ड नंबर 02, थाना महासमुंद,
जिला महासमुंद (छ.ग.) ---------- आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ.ग. राज्य
द्वारा– आबकारी वृत्त शहर महासमुंद,
जिला–महासमुंद (छ.ग.) ------- अनावेदक/अभियोजन

14–08–2026 आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री संदीप साहू अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/छ.ग. राज्य की ओर से श्री संजय गिरि, लोक अभियोजक उपस्थित ।

केस डायरी प्राप्त ।

01. आवेदक/अभियुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा. 483 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त आबकारी वृत्त शहर महासमुंद के अपराध क्रमाँक 80/2026, अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अनुसंधान में दिनाँक 11–08–2026 को गिरफ्तार किया जाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद, जिला महासमुंद छ०ग० के समक्ष पेश किया गया, तद्उपरांत आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आवेदन पत्र दिनाँक

12–08–2026 को निरस्त किया गया। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, जिससे उपरोक्त अपराध धारा का गठन होता हो, आबकारी वृत्त महासमुंद शहर के संबंध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम उमरदा वार्ड नंबर 02, थाना महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) के स्थायी निवासी है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र शंका के आधार पर आबकारी वृत्त महासमुंद शहर के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा दुर्भावनावश झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है । अतः जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है ।

02. जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके पुत्र केंवरा ने प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा बताई है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है । इसके अतिरिक्त इस धारा के तहत या धारा 482 भा०ना०सु०सं० के तहत अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी माननीय न्यायालय या माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष लंबित नहीं है, इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है ।

03. जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया ।

04. आबकारी वृत्त शहर महासमुंद से अपराध क्रमाँक 80/2026 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम की प्राप्त केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

05. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन के अनुसार तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके आधिपत्य से किसी प्रकार के तरल पदार्थ की जब्ती नहीं की गई है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम उमरदा वार्ड नंबर 02, थाना महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) के निवासी है, फरार होने की संभावना नहीं है । प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना है। जमानत के समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर है । अतः जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है ।

06. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि आवेदक/अभियुक्त के अवैध आधिपत्य से कुल 06 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब की विधिवत बरामदगी, जप्ती की गई है । अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, विवेचना शेष है, फरार होने की संभावना है, जमानत का दुरूपयोग कर सकता है, से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है ।

07. आबकारी वृत्त शहर महासमुंद के अपराध क्रमाँक 80/2026 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के प्राप्त केस डायरी अनुसार उपनिरीक्षक को दिनांक 11–08–2026 को ग्राम गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर समयाभाव में बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये मय स्टाफ के साथ ग्राम उमरदा पहुँचकर गवाहों के समक्ष आरोपी के घर की

विधिवत् तलाशी ली गयी । उक्त तलाशी में दो जरीकेन में कुल 06 लीटर शराब अवैध आधिपत्य में रखा पाया गया । नोटिस देने पर कोई कागजात नहीं होना बताया गया, जिससे उक्त हाथ भट्ठी महुआ शराब को जब्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा. 34(2) के तहत् आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने पश्चात गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसकी न्यायिक रिमांड स्वीकार की गई । विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन निरस्त की गई है । केस डायरी की सामग्री से चेक लिस्ट अंतर्गत धारा 35(1)(बी)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है ।

08. केस डायरी के साथ प्रस्तुत प्रतिवेदन में जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत उपरांत फरार होने, अपराध की पुनरावृत्ति करने एवं साक्षियों को प्रभावित करने का तथ्य प्रकट किया गया है । प्राप्त प्रतिवेदन से आवेदक/अभियुक्त के अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता होने का तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। पंजीबद्ध अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है । प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना का तर्क से इंकार नहीं किया जा सकता । दिनाँक 11–08–2026 को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात से अभिरक्षा में हैं ।

09. उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य तथा परिस्थितियों में प्रकरण के गुणदोष पर आगे और कोई टिप्पणी किए बिना शर्तो के अधीन जमानत की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। अतः

आवेदक/अभियुक्त ओमप्रकाश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा. 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है ।

10. आवेदक/अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होते हुए **15,000/–(पन्द्रह हजार)** रूपये के सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करें तो आवेदक/अभियुक्त ओमप्रकाश को आबकारी वृत्त शहर महासमुंद के अपराध क्रमाँक 80/2026 अंतर्गत धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम में जमानत पर छोड़ा जावे ।

शर्तेः–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्य किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा ।
2. अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर आवेदक/अभियुक्त विचारण के प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जिससे विचारण बाधित न हो ।
3. आवेदक/अभियुक्त के पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा. 269 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
4. मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा ।

5. निष्पादित बंधपत्र के शर्तानुसार उपस्थित होगा ।

11. किसी भी शर्त का उल्लंधन किया जाना पाये जाने पर यह जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी ।

12. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी आबकारी वृत्त शहर महासमुंद, जिला महासमुंद को वापस किया जावे तथा आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद, जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

13. जेल अधीक्षक, जिला जेल महासमुंद और सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छ.ग. को उनके ई–मेल के माध्यम से जमानत आदेश के सम्बध में सूचित किया जावें ।

14. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

ANITA DAHARIYA
Digitally signed by ANITA DAHARIYA
Date: 2026.08.14 17:32:11 +0530

(श्रीमती अनिता डहरिया)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुंद (छ.ग.)